



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2015

निग 12892/II/15

श्री विनोद भागवत, कां
द्वारा आज दि 31-8-15 को
प्रस्तुत

दि
31/08/15
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्व.श्री
कमलाकर सिंह, निवासी ग्राम सौनवर्षा,
हाल मुकाम पुरान चुंगीनाका केप एस,
तहसील गोपदबनास, जिला सीधी
(म०प्र०)

-- आवेदक

बनाम

1. विरझुआ पुत्र श्री रामेश्वर तेली,
निवासी ग्राम पटेहरा खुर्द, थाना
कोतवाली सीधी, तहसील
गोपदबनास, जिला सीधी (म०प्र०),
2. चक्रधर सिंह पुत्र श्री सत्य प्रसाद
सिंह, साकिन नौगवा दर्शनसिंह,
तहसील गोपदबनाम, जिला सीधी
(म०प्र०)
3. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा - कलेक्टर,
जिला सीधी (म०प्र०)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला सीधी (म०प्र०) द्वारा प्रकरण
क्रमांक 236/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 14.08.
2015 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा, 1959 की
धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

शाखा प्रजारी
कार्यालय महापिबस्ता

दि

विनोद भागवत
कां
द्वारा
31-08-2015

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

(8)

प्रकरण क्रमांक निम्न-2892/4/15

पति/पत्नी/विरुद्ध

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2/1/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>विनायक शर्मा</u>..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला - <u>रिया (क.प्र.)</u>..... के प्रकरण क्रमांक <u>336/नि.र.1/11-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>14-8-15</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग - <u>रिया</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>18/04/19</u>..... को संभागीय आयुक्त <u>रिया (क.प्र.)</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p><u>[Signature]</u> सदस्य</p>

[Signature]